कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन काशी, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक- 01.02.2025

विषयः-थाना सिगरा पुलिस द्वारा चोरी के गहने खरीद फरोक्त कर उन्हे गलाकर बेचने वाला ज्वैलर्स गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 439/2024 धारा 303(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सिगरा कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित अभियुक्त अमन सेठ पुत्र पप्पू सेठ पता ए 30/18 हनुमान फाटक गोला गेट थाना आदमपुर वाराणसी को दिनांक 01.02.2025 को मालगोदाम रोड से थाना सिगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रार्थिनी द्वारा अपनी लिखित तहरीर में बताया गया है कि दिनांक 01-12-24 को प्रयागराज से वाराणसी के लिए चलकर आ रही थी। कैंट स्टेशन से मैं ऑटो लेकर पाण्डेयपुर उतर गई। घर प्रेमचंद कलोनी गई और घर में पहुंची और 10 मिनट बाद मैं बैग खोलकर देखी तो मेरा सामान नहीं था सामान मेरा कुछ गहने,और कैश भी थे।

बयान अभियुक्तगण- अभियुक्त अमन सेठ उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया जा रहा है कि महेश राजभर, कृष्णा सेठ, अभिषेक गुप्ता प्रतीक गौड यह लोग एक ऑटो से एक महिला के बैग से कुछ गहने और पैसे चुराए थे गहने चुराकर मेरे पास लाए थे इसके बदले में मैं उनको 80,000 दिया था और उस गहने को गला कर मैंने बेच दिया था जिसमें मुझे एक लाख मिले थे जो फायदा 20,000 का मुझे फायदा हुआ था। फायदे में मिले पैसे मैंने खर्च कर दिए जिसमें से कुछ पैसे बचे हैं जो मेरी जेब में है जो आपको मेरी तलाशी से मिले हैं सर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर मैं महेश, प्रतीक और अभिषेक कृष्णा सेठ यही लोग गहने लेकर आए थे। ये गहने चोरी के हैं ऐसा उन लोगों ने मुझसे बताया भी था सर गलती हो गई हमको माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ।

सम्बन्धित अभियोगः-

मु0अ0सं0 439/2024 धारा 303(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सिगरा कमि0 वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

अमन सेठ पुत्र पप्पू सेठ पता ए 30/18 हनुमान फाटक गोला गेट थाना आदमपुर वाराणसी

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- स्थान- मालगोदाम रोड से थाना सिगरा, दिनांक 01.02.2025, ।

बरामदगी का विवरण-

बरामदगी 2200 रुपये

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 439/2024 धारा 303(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सिगरा कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0सं0 60/2022 धारा 323/504 भादवि थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री संजय कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. म0उ0नि0 कुसम जायसवाल थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 संतोष कुमार थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4. अजीत कुमार गौड थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणस